न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. कैम्प सागर

R-1422-III/14

1- मुन्नी तनय सुन्ने कुशवाहा, उम्र 40 वर्ष
2- ब्रजलाल तनय सुन्ने कुशवाहा, उम्र 45 वर्ष
समस्त निवासी ग्राम सतगुवा, तहसील लिधौरा,
जिला टीकमगढ़, म.प्र. == पुनरीक्षणकर्तागण

|| बनाम ||

1- फूला पत्नि लक्ष्मण कुशवाहा
2- सोमवती पत्नि परमानंद कुशवाहा
समस्त निवासी ग्राम सतगुवा, तहसील लिधौरा,
जिला टीकमगढ़, म.प्र. == अनावेदकगण

पुनरीक्षण क्रं. : ता.प्रस्तुति :

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता :-

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

पुनरीक्षण के तथ्य

1- यह कि, पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लिधौरा के दिनांक 11/03/2013 को उक्त बटवारा नामान्तिरण पंजी. क्रं. 11 में पारित आदेश जिसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई और न ही फर्द का प्रकाशन हुआ न ही धारा 178 म.प्र.भू.रा.सं. के प्रावधानों का पालन किया गया सम्पूर्ण कार्यवाही पटवारी द्वारा गोपनीय तरीके से की गई जिसके आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जतारा जिला टीकमगढ़ के यहां प्रस्तुत की गई चूंकि अपीलार्थी अनपढ़ है कानून का ज्ञान न होने के कारण अधिवक्ता पर पूर्ण भरोसा कर अपील प्रस्तुत करायी जो अपील क्रं. 52/अपील 12-13 जिसे माननीय अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा विलम्ब से अपील पेश करने के कारण को बताकर दिनांक 20/02/2014 को खारिज कर दी जिससे परिवेदित होकर माननीय अति. कमिश्नर महोदय सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसका निराकरण दिनांक 20/03/2014 को पोषणीय न होने के कारण खारिज कर दी गयी जिस कारण माननीय के समक्ष उक्त

162

6 APR 2014

62
28-4-14

28.4.14 को मा.ज्ञ. ... पेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी**-1422-तीन/2014 जिला टीकमगढ़

मुन्नी विरूद्ध फूला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ के द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 11 में पारित आदेश दिनांक 11-03-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 08/3/19 सदस्य	